न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 09 / 2014
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : **19.02.2014**

निर्णय दिनांक : 21.05.2025

उनवान

1. चमना पिता जेराम जाति गुर्जर
2. सोहनी पिता जेराम जाति गुर्जर
   निवासीयान डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमन्द

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. मोहनलाल पिता गिरधारी जाति गुर्जर
2. रामलाल पिता मोहन जाति गुर्जर
   निवासीयान डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमन्द

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थी की ओर से :– **अधिवक्ता प्रमोद लक्ष्कार**
विपक्षीगण की ओर से :– **अधिवक्ता मुकेश देवपुरा**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम डिंगरोल तहसील आमेट में प्रार्थी के हक अधिकार व आधिपत्य की भूमि के वर्तमान नम्बर 569, 570 थे, के पूर्व 494, 495, 498 499 501 से मिलकर बने थे जिस से 494 व 495 की पूरी भूमि अर्थात 0.7200 हैक्टेयर मिलकर उक्त नए नम्बर पडे थे तथा बकया 0.3700 भूमि 498, 499 व 501 से मिलकर उक्त नए नम्बर 569 व 570 पड़े तथा आरांजी नम्बर 539 व 541 चाह नम्बरं के पूर्व के सबिक आराजी नम्बर 490 व 492 थे। अप्रार्थी संख्या 11 अवयस्क था परन्तु वर्तमान में वयस्क है। खातेदारी लेहरी का देहान्त हो चुका है उसके पुत्र पहले से खातेदार है। सबिक आराजी नम्बर 494 रकबा दो बीघा दो बीस्वा, 495 रकबा एक बीघा चार बीस्वा का पूरा हिस्सा यानि तीन बीघा छ बिस्वा व चाह न0 539 के 1/2 हिस्सा व 541 में 4/15 हिस्सा श्री कुशाल वल्द रामबक्ष जी चौहान के खातेदारी स्वामित्व व आधिपत्य में दर्ज थी जो प्रार्थीगण के पिता जेराम पिता कुशाल जी ने जरीए रस्टिर्ड बेचान द्वारा पूर्व खातेदार श्री कुशाल वल्द रामबक्ष जी चौहान से खरीदी तथा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

खरीदने के बाद उक्त भूमि प्रार्थी खातेदारी में दर्ज हो गई। सेटलमेंट की गलती उक्त भूमि के अन्य भूमिया के साथ मिलकर सम्पूर्ण भूमियो के साथ प्रार्थी प्रतिवादी कि सयुक्त भूमिया बता दी गई जबकि उक्त भूमि जिसका वर्णन प्रार्थी के पूर्वाधिकारी जेराम जी द्वारा स्वंय खरीद शुदा होकर उसके अकेले कि खातेदारी व आधिपत्य की थी जिसमें अप्रार्थी का कोई हक अधिकार नही था। अप्रार्थी संख्या 01, 02 उक्त सम्पूर्ण भूमि का पंजियन करवा दिया गया है। उक्त पंजियन प्रार्थीगण के पंजियन के मुकाबले शूरू से ही शून्य है। आराजी नं0 539 में प्रार्थी गण का 1/2 हिस्सा तथा उदा जी व उनके वारिसो का 1/2 हिस्सा स्वत खातेदारी आधिपत्य में दर्ज होना चाहिए। तथा बकाया 1/2 हिस्सा कुशाल जी के तीनो पुत्रो का संयुक्त रूप से 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा है अर्थात उदा जी के पुत्रा का 1/6 गिरधारी जी के पुत्रो का 1/6 तथा जेराम जी के पुत्रो का 1/6 हिस्सा था। आराजी नं0 541 में 4/15 हिस्सा प्रार्थी गण का बकाया 11/15 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 06, 07, 08, 09, 10, 11 के खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए तथा आराजी नं0 569 व 570 में से 0.7200 हैक्टेयर भूमि अकेले प्रार्थी गण के हकअधिकार में और शेष हिस्से में 1/3 हिस्सा उदा जी के उत्तराधिकारियो का 1/3 हिस्सा जेराम जी के उत्तराधिकारीयो का तथा 1/3 हिस्सा गिरधारी जी के उत्तराधिकारीयो का दर्ज होना अनिवार्य है। आराजी नं0 569 व 570 के 0.3700 हैक्टेयर में से मोहन ने अपने आप को उदा जी का पुत्र बताकर सम्पति का 1/3 अपने नाम करवाली जो कि वास्तव में गिरधारी जी का पुत्र है। जिसके संबंध में भी बकाया 0.3700 हैक्टेयर भूमि के लिए मोहनी द्वारा एक वाद सक्षम न्यायालय में पेश कर रखा है। प्रतिवादी संख्या 01 अपने नाम भुमि दर्ज होने का फायदा उठा सम्पूर्ण भूमि को बय, बक्षीस, हस्तान्तरण करने पर आमादा है। इन परिस्थियो में यह आवश्यक हो गया है कि प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थी संख्या 01, 02 के विरूद्ध इस बात कि निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वादग्रस्त भूमि को बय, बक्षीस, हस्तान्तरण नही करे तथा मोके व रेकर्ड कि यथावत स्थिति बनाए रखे। जिसके लिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है। प्रथम दृष्टीया सुदुढ होकर सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है और अपूर्णिय क्षर्ति भी प्रार्थी को होने वाली है।

अतः श्रीमान् प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थी संख्या 01. 02 के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस बात कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वादग्रस्त भूमि को बय, वक्षीस, हस्तान्तरण नही करे तथा मोके व रेकर्ड कि यथावत स्थिति बनाए रखे। समर्थन में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की तरफ से अधिवक्ता मुकेश देवपुरा ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम डिंगरोल मे आराजी नम्बर 569 रकबा 0.9000 एवं आराजी नम्बर 570 रकबा 0.1900 हेक्टर भूमि अवश्य स्थित है, जिसमे 1/3 हिस्सा रामलाल पिता मोहनलाल गुर्जर निवासी डिंगरोल, विपक्षी संख्या 02 का है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 539 रकबा 0.0350 आराजी चाह ग्राम डिंगरोल मे स्थित है, जिसमे विपक्षी संख्या 02 रामलाल पिता मोहन जी गुर्जर का 3/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, जो सही है, तथा आराजी

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

नम्बर 541 रकबा 0.0400 हेक्टर ग्राम डिंगरोल मे स्थित होना स्वीकार है। उक्त आराजीयात के साबिक नम्बर क्या थे, एवं कैसे बने यह प्रार्थी स्वयं राजस्व रेकार्ड पेश कर साबित करावें। कुशाल वल्द रामबक्ष चौहान की खातेदारी के बारे मे विपक्षी संख्या 01 एवं 02 को कोई जानकारी नही होने से समस्त तथ्य अस्वीकार हैं। प्रार्थी रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त तथ्य को साबित करावें। विपक्षी संख्या 01 ने अपने खातेदारी, आधिपत्य की भूमि को अपने पुत्र विपक्षी संख्या 2 को रजिस्टर्ड दान पत्र से भूमि दान की है, जिसके करने का विपक्षी संख्या 01 को पूर्ण अधिकार था। उक्त दान किसी भी रूप मे शुन्य नही है। प्रार्थीगण इस प्रकार का कोई इन्द्राज कराने के अधिकारी नही है। मोहनलाल विपक्षी संख्या 01 उदा जी का दत्तक पुत्र है एवं दत्तक पुत्र होने से ही उदा जी की तमाम सम्पतियां मोहन जी के नाम पर आई है। प्रार्थी ने पंजीयन दिनांक तो लिखा है, लेकिन किस पंजीयन दिनांक के आधार पर प्रार्थी खातेदार घोषित होना चाहता है, यह कही पर भी वाद पत्र मे उल्लेख नही है। प्रार्थीगण किसी प्रकार से खातेदार घोषित होने के अधिकारी नही है। विपक्षी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। विपक्षी संख्या 01 एवं 02 को अपने खातेदारी की भूमि को रहन, बय, बक्षीस आदि करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण को रोकने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टिया मामला नहीं है, न ही सुविधा का संतुलन प्राथीगण के पक्ष मे तथा जहां तक अपूर्णिय क्षति का प्रश्न है, यदि वादग्रस्त भूमियो के सम्बन्ध मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जाती है तो विपक्षीगण को भारी अपूर्णिय क्षति होगी। तीनो ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे

दोनो पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम डिंगरोल पटवार हल्का दोवड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 569 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, 570 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, 539 रकबा 0.0350 हैक्टेयर, 541 रकबा 0.0400 हैकटेयर भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उभयपक्ष प्रकरण संख्या 10/2014 रे. वाद के निस्तारण तक मौके एवं अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक **21.05.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)